न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2022/291

मिसल नम्बर– 57 / 2022

दानसिंह राणावत आत्मज श्री चंचल सिंह राणावत आयु 65 साल निवासी दुर्गा कॉलोनी इनकम टैक्स ऑफिस के पास दादाबाड़ी कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.महेन्द्र सिंह आयु 35 साल पुत्र दान सिंह

2.सीमा कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह आयु 32 वर्ष निवासीगण दुर्गाकॉलोनी इनकम टैक्स ऑफिस के पास दादाबाड़ी कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 28/3/25

उपस्थिति:–

1.श्री संजय शुक्ला प्रार्थी अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेष हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वाके दुर्गा कोलोनी इनकम टेक्स ऑफिस के पास जवाहर नगर कोटा का निवासी है, प्रार्थी सिनियर सीटीजन है और उक्त मकान प्रार्थी का स्वर्जित आय का बनाया हुआ है, अप्रार्थीगण प्रार्थी के पुत्र व पुत्रवधु है, प्रार्थी के मकान मे ही निवास करते है। जो कि जो कि लडाकू झगडालू प्रवृति के है। प्रार्थी के दुसरा पंत्र तेजराम सिंह व उसकी पत्नी केका कंवर है, जो कि प्रार्थी व उसकी पत्नी की सेवा सुश्रषा करते है, खाना खर्चा देते है. प्रेम से निवास करते है, लेकिन अप्राथीगण अपनी मनमानी करते हुए प्रार्थी के साथ गाली गलोच करते है, लडाई झगड़ा करते है, मारपीट करने तक पर आमादा फसाद हो जाते है, प्रार्थी को मकान से बेदखल करने की धमकीया देते है, अपनी मनमानी करते है, तथा प्रार्थी के दुसरे पुत्र तेजराम सिंह के साथ भी गाली गलोच करते है। अप्रार्थीगण आपनी मनमानी करते हुए प्रार्थी के मकान पर कब्जा करने पर आमादा है, इसी गरज से घर में हमेशा क्लेश का माहौल बनाये रखते है, लडाई झगडा गाली गलोच करते है, मारपीट पर आमादा हो जाते है, जान से मारने की धमकीया देते है, प्रार्थी व उसके परिवार को मकान से बेदखल करने की धमकीया देते है, जबकि अप्रार्थीगण अपने पुत्र व पुत्रवधु के कर्तव्यो को भूल गये है, वे लोग प्रार्थी की कोई सेवा नही करते है, ना ही कोई खर्चा ही देते है, जबकि अप्रार्थी कम 1 अच्छा काम धन्धा करता है, अच्छी आय अर्जित करता है अप्रार्थी कम 1 को उसके अपराधिक कृत्य के लिए पूर्व में भी 107.151 सीआरपीसी के तहत पाबंद किया गया था लेकिन वह अपनी हरकतो से बाज

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

, आते है। दिनांक 8.5.2022 को भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी व उसके दुसरे पुत्र व पुत्रवधु के थ गाली गलोच की लडाई झगडा किया ओर सभी को मकान से निकालने पर आमादा हो या इसलिए अब अप्रार्थीगण को अपने मकान मे नही रखना चाहता है, बेदखल करना चाहता है, साथ ही अप्रार्थीगण से खर्चा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थी के मकान से बेदखल किया जावे ओर उनके कृत्य के लिए दंडित किया जावे ओर प्रार्थी को अप्रार्थीगण से खर्चा दिलाया जावे, अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रार्थी के पक्ष मे हो अता फरमायी जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बावजूद अप्रार्थीगण उपस्थित नही हुये अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र को ही बहस माने जाने का निवेदन किया गया। हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित दुर्गा कॉलोनी इनकम टैक्स ऑफिस के पास दादाबाड़ी कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे भविष्य में प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौच इत्यादि नही करें, उपरोक्त वर्णित मकान में प्रार्थी के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, प्रार्थी की सेवा सुश्रुषा करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 28/3/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा